| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 14/5/19 | अधि० प्रार्थी उप० ही पेशकार उप० है। वास्ते बहस दि० 3/6/19 को पेश हो। | |
| 3/6/19 | अधि० प्रार्थी व पेशकार सरकार उप० हैं। समय चाहा सो वास्ते बहस दि० 1/7/19 को पेश हो। | |
| 1/7/19 | पत्रावली पेश हुई। पी ओ साहब बाहर रहने से पत्रावली हस्त आदेशानुसार दिनांक 19/7/19 को पेश हो। | |
| 19/7/19 | अधि० प्रार्थी व पेशकार सरकार उप० हैं। बहस हेतु समय चाहा सो वास्ते बहस दि० 25/7/19 को पेश हो। | |
| 25/7/19 | अधि० प्रार्थी व पेशकार सरकार उप० है। प्रार्थी का कथन है कि आराजी ख० नं० 1430/3333 रकबा 0.23 हे० 1409/3569 रकबा 0.12 हे० कुल किता 2 रकबा 0.35 हे० वाके ग्राम खेड़ा तहसील टोडाभीम में स्थित है जो प्रार्थी को नामा० सं० 973 दि० 1.8.11 से जरिये आवंटन आदेश क्रमांक 132-33 दि० 14.11.11 को आवंटन की गई कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द किया जा चुका था। उक्त आवंटन की गयी आराजी के नये ख० नं० 1409/3569/2 रकबा 0.12 है, है प्रार्थी के हक में गैरखातेदारी दर्ज कर प्रार्थी को मौके पर कब्जा सुपुर्द किया गया। जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है अप्रार्थी नं० 1 व 2 को सहवन से ख० नं० 1409/3569/1 रकबा 0.70 हे० सम्पूर्ण रकबा खातेदारी में दर्ज कर दिया गया जबकि अप्रार्थीगण को रकबा 0.70 हे० के स्थान पर 0.58 हे० का खातेदार दर्ज किया जाना चाहिए था। अप्रार्थीगण के नाम दर्ज आ० ख० नं० 1409/3569 रकबा 0.70 है में से 0.12 हेक्टर रकबा कम करते हुए शेष रकबा 0.58 हे० का खातेदार दर्ज किया जावे। ख० नं० 1409/3569/1 रकबा 0.58 है अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में रखा जाकर आ० ख० नं० 1409/3569/2 रकबा 0.12 हे० वाके ग्राम खेड़ा का प्रार्थी को गैरखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अप्रार्थीगण रकबा गलत तौर पर दर्ज रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखल करते हैं यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण प्रार्थी को बेदखल कर देंगे। प्रार्थी को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। जिसकी पूर्ति कतई सम्भव नहीं होगी। दावा करने का | |
| | का अभिप्राय ही समाप्त हो जावेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर दौराने दावा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे प्रार्थी के कब्जे काश्त व गैरखातेदारी की आ० ख० नं० 1409/3569/2 रकबा 0.12 हे० वाके ग्राम खेड़ा तह० टोडाभीम में प्रार्थी के कब्जे काश्त में मदाखलत बेजा मुदाखलत नहीं करें। काश्त करने से मना नहीं करें अथवा बेदखल नहीं करें। अन्तरण बेचान खुर्द बुर्द नहीं करें। मौका व रेवेन्यू रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र प्रार्थी पेश होने पर तलबी अप्रार्थी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण अनुपस्थित होने पर कार्यवाही एकतरफा की गयी। बहस सुनी गयी। अधि० प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र के अनुसार रही। पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात नकल जमाबंदी संवत 2068 से 2071, संवत 2072-75 सम्वत, वर्ष 2011, नामा० सं० 973 को भी देखा। आराजियात मुताबिक रेवेन्यू रिकार्ड नकल जमाबन्दी संवत 2072-2075 खाता सं० 678 वाके ग्राम खेड़ा लाडी बेवा नाहर, देवा पुत्र कंवरिया जाति बैरवा सा० देह खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज है। हालांकि जमाबंदी सम्वत 2068 से 2071 जरिये नामा० सं० 973 दि० 1.8.2011 से वादग्रस्त आराजी प्रार्थी के नाम आवंटन से गैरखातेदारी में दर्ज हुई थी खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2067 के अनुसार कब्जा काश्त प्रार्थी का होना अंकित है लेकिन वर्तमान रिकार्ड राजस्व में अप्रार्थीगण जो कि अनुसूचित जाति के हैं, के नाम दर्ज हो जाने से यह कि वादग्रस्त आराजी से प्रार्थी का कोई सरोकार वास्ता नहीं है अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार हैं, उनके विरुद्ध किसी किस्म का अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित एवं न्याय संगत नहीं है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी संधारणीय नहीं होने के फलस्वरूप खारिज किया जाता है अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दि० 31.5.2017 को भी अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो। हुक्म से इजलास सुनाया गया। | |